प्रकाशनार्थ अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (एस) सं. 4980, 2009**

अजीत सिंह जाट, आयु 45 वर्ष, पिता श्री अमर सिंह,
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

**---- याचिकाकर्ता**

**विरुद्ध**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव ,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय,
   डी.के.एस. भवन, रायपुर
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
   स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
   डी.के.एस. भवन, रायपुर
3. आयुक्त/निदेशक, लोक निर्देश,
   छत्तीसगढ़, रायपुर
4. आयुक्त, रायपुर डिवीजन, रायपुर
5. कलेक्टर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)
7. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

**---- उत्तरदातागण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**एवं**

**रिट याचिका (एस) सं. 4981, 2009**

अजीत सिंह जाट,, आयु 45 वर्ष, पिता श्री अमर सिंह ,
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

**---- याचिकाकर्ता**

**विरुद्ध**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
   स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
   डी.के.एस. भवन, रायपुर
2. आयुक्त, लोक निर्देश,
   छत्तीसगढ़, रायपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

**---- उत्तरदातागण**

---

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजेश कुमार केशरवानी, अधिवक्ता।
उत्तरदातागण /राज्य की ओर से :श्री अनिमेश तिवारी, उप महाधिवक्ता।

## माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

## पीठ पर पारित आदेश

01/07/2021

**1.** इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है।

**2.** दोनों रिट याचिकाओं में विधि और तथ्य से संबंधित समान प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ा गया, एक साथ सुना गया और इस साझा आदेश द्वारा निपटारा किया जा रहा है।

**3.** साल 2007 में जनपद पंचायत, अभनपुर में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसके लिए चयन समिति का गठन किया गया। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी (जो वर्तमान याचिकाकर्ता हैं) शामिल थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चयन एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर 13 शिक्षा कर्मी ग्रेड-III की नियुक्ति की गई, किन्तु बाद में कुछ शिकायतों के आधार पर दिनांक 13-2-2008 के आदेश द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई , जिसने दिनांक 14-05-2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 7 शिक्षा कर्मी ग्रेड-III द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र कूटरचित पाए गए । तथा तदनुसार उनकी सेवाएं 23-5-2008 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 22-05-2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षा कर्मियों के प्रमाणपत्रों का उचित ढंग से सत्यापन नहीं किया था। याचिकाकर्ता ने इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया, किन्तु अंततः सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 06-12-2008 के आदेश द्वारा उनकी दो वेतन वृद्धियाँ रोके जाने (गैर-संचयी प्रभाव सहित) का लघु

शास्ति प्रदान किया। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (W.P.(S) No.4981/2009) में जालीचुनौती दी है।

**4.** इसके पश्चात, कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनांक 07-07-2009 को एक अन्य आदेश पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि याचिकाकर्ता तथा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किए गए कदाचरण के कारण राज्य सरकार को कुल ₹2,03,313/- की धनराशि का नुकसान हुआ है। अतः, दोनों अधिकारियों को इस हानि के लिए समान रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, याचिकाकर्ता को ₹1,01,655.50 भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (W.P.(S) No.4980/2009) में चुनौती दी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**5.** याचिकाकर्ता द्वारा ये दो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का विधि के अनुरूप पूर्ण रूप से पालन किया और प्रमाणपत्रों के सत्यापन में पूर्ण सावधानी बरती। याचिकाकर्ता ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है।

उनका तर्क है कि **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966** (संक्षेप में '1966 के नियम') के नियम 16(1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, नियम 10(iv) के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही, दिनांक 07-07-2009 को कलेक्टर द्वारा पारित आदेश, जिसे रिट याचिका (W.P.(S) No.4980/2009) में चुनौती दी गई है, अधिकार क्षेत्र से परे और विधि-अनुमोदन के बिना पारित किया गया है, क्योंकि **लघु शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04-08-2008 की अधिसूचना के माध्यम से आयुक्त को प्रदान किया गया था**। अतः, वसूली आदेश को रद्द किया जाना न्यायसंगत होगा। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि **एक ही कथित**

**कदाचरण के लिए दो लघु शास्ति —एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश और दूसरा वसूली आदेश—एक साथ नहीं दिए जा सकते**, अतः यह आदेश विधिसम्मत नहीं है।

**6.** उत्तरदाता द्वारा अपनी कार्रवाई के औचित्य को सिद्ध करते हुए रिटर्न दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रारंभिक जांच की गई थी तथा 14-05-2008 की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि 7 शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के प्रमाणपत्र कूटरचित और बनावटी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। साथ ही, याचिकाकर्ता को कदाचरण का दोषी ठहराया गया, अतः दो वेतन वृद्धियों को रोके जाने का लघु **शास्ति** (गैर-संचयी प्रभाव सहित) लगाया गया और बाद में, राज्य को हुए नुकसान की वसूली कलेक्टर के आदेश द्वारा की गई। अतः, दोनों याचिकाओं को खारिज किया जाना उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार केशरवानी ने निम्नलिखित दलीलें रखीं: -

1. दिनांक 6-12-2008 को गैर-संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का मामूली जुर्माना लगाने वाला आदेश पारित करते समय, 1966 के नियम 16(1) का पालन नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः, आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाना उचित है।

2. केवल कारण बताओ नोटिस 1966 के नियमों की धारा 16(1) के अनुसार उचित सुनवाई के अवसर के समान नहीं माना जा सकता।

3. कलेक्टर द्वारा दिनांक 7-7-2009 को पारित आदेश, जिसमें वसूली का निर्देश दिया गया है, अधिकारिता एवं विधि के प्राधिकार से रहित है, क्योंकि लघु दण्ड लगाने की शक्ति आयुक्त को दिनांक 4-8-2008 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की

गई है, अतः कलेक्टर द्वारा ₹1,01,655.50/- की वसूली का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

4. एक ही कथित कदाचरण के लिए दो लघु दंड नहीं लगाए जा सकते, अतः इन्हें निरस्त किया जाना उचित है।

**8.** राज्य कि ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने विवादित आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि, कदाचार और कूटरचित प्रमाण पत्रों को सत्य मानते हुए तथा सरकार को हुई हानि को देखते हुए, लगाया गया जुर्माना उनके कदाचार के कृत्य के अनुपात से अधिक नहीं कहा जा सकता। अतः, संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान की गई अधिकारिता के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**9**. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

10. छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 04-08-2008 की अधिसूचना द्वारा, 1966 के नियम, धारा 12(2)(a) एवं (b) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, डिवीजनल आयुक्त को वर्ग-II राजपत्रित अधिकारियों पर लघु शास्ति लगाने का अधिकार सौंपा गया है ।

**11.** 1966 के नियमों की धारा 10(i) से 10(iv) तक लघु शास्ति के प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

"**10. शास्तियां.—** शासकीय सेवक पर, निम्नलिखित शास्तियां, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किये गये अनुसार, अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात् :—

लघु शास्तियां

**(एक)** परिनिन्दा;

**(दो)** उसकी पदोन्नति का रोका जाना;

**(तीन)** उपेक्षा से या आदेशों के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई गयी किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली;

**(चार)** वेतन की वृद्धियों का या गतिरोध भत्ते का रोका जाना;"

**12.** 1966 के नियमों की धारा 16 लघु शास्तियाँ लगाने की प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

**"16. लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया .––**

**(1)** नियम 15 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, शासकीय सेवक पर, नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक 'तथा नियम 11 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को, अधिरोपित करने वाला कोई आदेश :––

**(क)** शासकीय सेवक को, उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की तथा ऐसे अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिनके आधार पर कि वह (कार्यवाही) की जाना प्रस्तावित है, लिखित इत्तिला दिये जाने के, और ऐसा अभ्यावेदन जिसे कि वह उस प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे, करने के लिए, युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के;

**(ख)** ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि अनुशासिक प्राधिकारी की राय यह हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में दी गयी रीति में जांच करने के;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**(ग)** खण्ड (क) के अधीन शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को तथा खण्ड (ख) के अधीन की गयी जांच, यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने के;

**(घ)** अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के; और

**(ङ)** जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श करने के,—

पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं

**(1—क)** xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

**(2)** ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(एक)** शासकीय सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव के प्रज्ञापन की, जो कि उस शासकीय सेवक को दिया गया हो, प्रतिलिपि;

**(दो)** उसको दिये गये अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि जो कि उसको परिदत्त की गयी हो;

**(तीन)** उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

**(चार)** जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य;

**(पांच)** आयोग की मंत्रणा, यदि कोई हो;

**(छः)** अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और

**(सात)** मामले में दिये गये आदेश उनके कारणों सहित"

**13.** उपरोक्त नियम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, वेतन वृद्धि रोकने का दंड, जो कि एक लघु शास्ति है, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर तभी लगाया जा सकता है, जब उसे 1966 के नियम की धारा 16(1)(a) के अंतर्गत लिखित रूप में उस पर कार्रवाई करने के प्रस्ताव तथा उस पर लगाये जाने वाले

कदाचार या अनुचित व्यवहार के आरोपों की सूचना दी जाए, और उसे प्रस्ताव के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए तथा, यदि कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, तो उसे ध्यान में रखा जाए। साथ ही, 1966 के नियम की धारा 16(1)(a) यह भी निर्धारित करती है कि दोषी को अभियोग पत्र दर्ज किए बिना तथा उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना कोई भी शास्ति नहीं लगाया जा सकता।

**14.** म.प्र. उच्च न्यायालय ने **कु. शैलजा आर. जेस्वानी विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि नोटिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार के आरोप से संबंधित कार्यवाही करने के प्रस्ताव के रूप में नहीं समझा जा सकता, और इस आधार पर लघु शास्ति लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**15. लाल औधराज सिंह – लाल रामप्रताप सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि केवल सरकारी कर्मचारी को केवल एक नोटिस देना कि वह किसी त्रुटि या कदाचार का दोषी है तथा उससे वेतन वृद्धि रोकने के दंड के विरुद्ध अपनी कारण देने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित रूप में कहा गया है: –

"**5.** याचिकाकर्ता की यह आपत्ति कि उसे उसकी वेतन वृद्धि रोकने के प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर नहीं दिया गया, जो कि महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, जो 13 अगस्त 1965 से पूर्व प्रचलित थे, की धारा 55-A के अनुसार, ऐसा दंड किसी भी सरकारी कर्मचारी पर केवल तभी लगाया जा सकता है, जब उसे अपनी इच्छानुसार

1 2000(3) MPHT 85 (NOC)
2 1967 MPLJ 528

अपना पक्ष प्रस्तूत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए और यदि कोई प्रस्तुति दी जाती है, तो उसे ध्यान में रखा जाए। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की धारा 13(1)(a) के अनुसार, वेतन वृद्धि रोकने का दंड केवल तब ही लगाया जा सकता है जब सरकारी कर्मचारी को इस कार्यवाही के प्रस्ताव तथा उन आरोपों की लिखित सूचना दी जाए, जिनके आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है, और उसे अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान किया जाए तथा, यदि कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, तो उसे विचार में लिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी सरकारी कर्मचारी पर वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाने के लिए विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे उन आरोपों का सामना करने का एक प्रभावी अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर उसकी वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव रखा गया है। केवल सरकारी कर्मचारी को यह नोटिस देने कि वह किसी त्रुटि या कदाचार का दोषी है और उससे वेतन वृद्धि रोकने के दंड के विरुद्ध अपना पक्ष रखने के लिए कहना, पर्याप्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों तथा उन आरोपों के आधारभूत साक्ष्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, दूसरा नोटिस, जो आवेदक को 15 अप्रैल 1963 को जारी किया गया था, जैसा कि रिटर्न में स्वयं उल्लेख किया गया है, जुलाई 1954 में आयोजित जांच रिपोर्ट के आधार पर था। उस रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए थी, ताकि वह उस पर लगाए गए लापरवाही के आरोप का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके और यह सिद्ध कर सके कि वह किसी दंड के योग्य नहीं है।"

**16.** 1966 के नियमों की धारा 16 के उप-नियम (1) के उपखंड (b) द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्णय करने का विवेक प्रदान किया गया है कि जांच

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करनी है या नहीं। अनुशासनिक प्राधिकारी को को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जैसा कि कर्मचारी के अभ्यावेदन और अन्य उपलब्ध सामग्री में बताया गया है और एक तर्कसंगत निष्कर्ष देना चाहिए कि जांच आवश्यक है या नहीं। ऐसे निष्कर्ष के अभाव में, जुर्माना लगाने वाला आदेश तब तक अमान्य होगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता कि चूक से कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

17. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध सी.पी. सिंह** [3] मामले में, इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तथा **डी.के. भारद्वाज विरुद्ध भारत संघ**[4] और **फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध ए. प्रहलाद राव**[5] मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए, लघु शास्ति लगाने के लिए विधिक स्थिति को अनुच्छेद 16 और 17 में संक्षेपित किया है, जो इस प्रकार है: -

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"16. नियमों और पूर्वोक्त निर्णयों से स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

"(i) संक्षिप्त जांच में, कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने तथा उस पर लगाए गए कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों की जानकारी दी जाती है। कर्मचारी को प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रत्येक कदाचार के आरोपों पर अभिलेखों तथा अभ्यावेदन और निष्कर्षों के अभिलेखों पर विचार करता है।

3 2004 (II) MPJR 252
4 (2001) 9 SCC 180
5 (2001) 1 SCC 165

(ii) नियमित जांच में, अनुशासनिक अधिकारी आरोप-पत्र तैयार करता है और उसे कर्मचारी को कदाचार के आरोपों के विवरण, गवाहों की सूची तथा विभाग द्वारा संदर्भित दस्तावेजों की सूची के साथ प्रदान किया जाता है। अनुशासनिक अधिकारी कर्मचारी से लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है। कर्मचारी का पक्ष प्राप्त होने के बाद, अनुशासनिक अधिकारी उसका परीक्षण करता है और यह निर्णय लेता है कि जांच जारी रखी जाए या आरोपों को समाप्त कर दिया जाए। यदि वह जांच जारी रखने का निर्णय लेता है, तो सामान्यतः एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जब तक कि अनुशासनिक अधिकारी स्वयं जांच करने का निर्णय न ले। मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कर्मचारी को नियमों के अनुसार किसी सहकर्मी या अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी जाती है। जांच के दौरान, साक्ष्य कर्मचारी की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं। कर्मचारी को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाती है जिन पर नियोक्ता भरोसा कर रहा है। उसे प्रबंधन के पास मौजूद अन्य दस्तावेजों को बुलाने की भी अनुमति होती है, यदि वे उसके पक्ष में हों। दोषी कर्मचारी को प्रबंधन के साक्ष्यों को खंडित करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें प्रबंधन के गवाहों से जिरह करना और अपने पक्ष में दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना शामिल है। तर्क - लिखित और/या मौखिक - प्रस्तुत किए जाते हैं। दोषी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। इसके बाद, जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को प्रदान की जाती है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात, अनुशासनिक अधिकारी समस्त सामग्री पर विचार करता है और उपयुक्त आदेश पारित करता है। ऐसी जांच की विस्तृत प्रक्रिया रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम, 1968 के नियम 9 के उप-नियम (6) से (25), केंद्रीय सिविल सेवा (CCA) नियम, 1965 के नियम 14 के उप-नियम (3) से (23) और म.प्र.सिविल सेवा (CCA) नियम, 1966 में वर्णित है।

(iii) सामान्य नियम के अनुसार, जब तक कि कर्मचारी अपराध स्वीकार नहीं करता, नियमित जांच की जानी चाहिए। परंतु, जहां प्रस्तावित दंड 'लघु शास्ति' होता है, तब नियम अनुशासनिक प्राधिकरण को यह विवेक प्रदान करते हैं कि वह, अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, नियमित जांच से बचें और केवल संक्षिप्त जांच करें।

(iv) यद्यपि नियमों में नियमित जांच किए बिना लघु शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है, परंतु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का मानना हो कि ऐसी जांच आवश्यक नहीं है, तो जांच न कराने का निर्णय केवल वैध कारणों पर आधारित होना चाहिए, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। जहां लघु शास्ति प्रस्तावित की गई हो, वहां नियमित जांच से छूट केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए जिनकी प्रकृति के अनुसार जांच की आवश्यकता नहीं होती, उदाहरणार्थ:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(a) अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले, जहाँ अनुपस्थिति तो स्वीकार की जाती है परंतु अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है; (b) अधिकारी वरिष्ठों के वैध आदेशों का अनुपालन न करने या उनके उल्लंघन के मामले, जहाँ उल्लंघन स्वीकार किया जाता है परंतु यह तर्क दिया जाता है कि यह

जानबूझकर नहीं किया गया है; (c) ऐसे मामले जहाँ आरोप की प्रकृति इतनी सरल हो कि उसे बिना विवाद या स्वीकृत दस्तावेजों से आसानी से समझा जा सके; या (d) ऐसे मामले जहाँ नियमित जांच करना व्यवहारिक न हो।

(v) परन्तु, भले ही प्रस्तावित दंड को लघु शास्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, यदि उस दंड में वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है, जो पेंशन (या कर्मचारी को देय भविष्य निधि में विशेष योगदान) की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखता हो, या यदि वेतन वृद्धि को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाता है, या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ रोक दिया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी पर यह आवश्यक है कि वह एक नियमित जांच आयोजित करे।

(vi) **<u>भारतीय खाद्य निगमके निर्णय से पूर्व की स्थितिः</u>** जहां आरोप तथ्यात्मक होते हैं और कर्मचारी द्वारा आरोपों से इनकार किया जाता है या जब कर्मचारी जांच या अपना पक्ष रखने का अवसर मांगता है, तो ऐसे में अनुशासनिक प्राधिकारी का विवेक लगभग समाप्त हो जाता है तथा नियमित जांच आयोजित करना अनिवार्य हो जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**भारतीय खाद्य निगम के निर्णय के पश्चात की स्थितिः** जहां नियम अनुशासनिक प्राधिकारी को संक्षिप्त जांच या नियमित जांच आयोजित करने का विवेक प्रदान करते हैं, वहां यह कहना उचित नहीं कि केवल नियमित जांच ही होनी चाहिए, चाहे कर्मचारी आरोपों से इनकार करे या जांच का अनुरोध करे। ऐसे मामलों में भी, अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित कारणों के साथ यह निर्णय लेने का अधिकार है कि नियमित जांच आयोजित की जाए या नहीं। यदि वह नियमित जांच न करने का निर्णय लेकर मामले को संक्षेप में निपटाता है, तो कर्मचारी यह तर्क देकर लगाए गए लघु दंड को चुनौती दे सकता है कि नियमित जांच न करने का निर्णय मनमाना था। ऐसी स्थिति में, न्यायालय या ट्राइब्यूनल न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यह जांच करेगा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच न कराने

का निर्णय मनमाना था या नहीं। यदि न्यायालय/ट्राइब्यूनल यह पाता है कि निर्णय मनमाना था, तो जांच न कराने का निर्णय एवं परिणामी दंड निरस्त कर दिया जाएगा। यदि न्यायालय/ट्राइब्यूनल यह पाता है कि निर्णय मनमाना नहीं था, तो लघु दंड लागू रहेगा।

17. भारद्वाज और एफसीआई के निर्णयों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है, यदि भारद्वाज को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समझा जाए—बिना किसी विशेष नियम का हवाला दिए—कि यदि आरोप तथ्यात्मक है और कर्मचारी द्वारा उसे अस्वीकार किया जाता है, तो भले ही दंड लघु हो, अनुशासनिक प्राधिकारी पर नियमित जांच आयोजित करना अनिवार्य है। दूसरी ओर, एफसीआई के उस निर्णय को, जिसमें यह माना गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के पास नियमित जांच से छूट देने का विवेक है, चाहे आरोप तथ्यात्मक हो और कर्मचारी उसे अस्वीकार करे, ऐसे विवेक को निहित करने वाले नियम के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में मामले के तथ्यों पर पुनर्विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को केवल दिनांक 22-5-2008 का कारण बताओ नोटिस (जो W.P.(S) No.4980/2009 में दाखिल किया गया था) प्रदान किया गया, परंतु इसके पश्चात कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई और सीधे दिनांक 6-12-2008 का आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी ठहराकर गैर-संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियाँ रोकने का लघु शास्ति लगाया गया। यह आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लाल औधराज सिंह – लाल रामप्रताप सिंह (पूर्वोक्त) एवं सी.पी. सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस को दोषी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं

माना जा सकता तथा न ही इसमें कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर 1966 के नियम की धारा 16(1)(a) के अंतर्गत कार्रवाई की जाने की बात की गई हो। साथ ही, उल्लिखित नियम की धारा 16(1)(b) का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा यह कोई तर्कसंगत राय दर्ज नहीं की गई कि जांच क्यों आवश्यक नहीं है—जबकि कर्मचारी द्वारा धारा (a) के अंतर्गत प्रस्तुत अभिव्यक्ति एवं धारा (b) के अंतर्गत, यदि आयोजित हुई हो, जांच के अभिलेखों पर विचार किया जाना चाहिए था। कोई जांच नहीं की गई और बिना किसी अन्य कार्रवाई के सीधे आदेश पारित कर दिया गया। अतः, याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ताओं का यह तर्क कि दिनांक 6-12-2008 को पारित दंड आदेश, 1966 के नियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के विरुद्ध है, ठोस है, और तदनुसार, दिनांक 6-12-2008 का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. अब, दिनांक 7-7-2009 का वह आदेश आता है, जिसे कलेक्टर, रायपुर द्वारा पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता से ₹1,01,655.50/- की वसूली का निर्देश दिया गया है, जिसे W.P.(S) No.4980/2009 में चुनौती दी गई है।

20. यह सत्य है कि दिनांक 04-08-2008 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने डिवीजनल आयुक्त को लघु शास्ति लगाने का अधिकार प्रदान किया है, और कलेक्टर के पास न तो अधिकार क्षेत्र है तथा न ही कलेक्टर को (वर्ग-II अधिकारी पर) लघु शास्ति लगाने का कोई अधिकार सौंपा गया है, बल्कि यह अधिकार 1966 के नियम की धारा 12(2)(a) एवं (b) के अंतर्गत आयुक्त को प्रदान किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता से ₹1,01,655.50/- की वसूली के रूप में लघु शास्ति लगाने का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलेक्टर न तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति का प्राधिकारी है और न ही उसका अनुशासनिक प्राधिकारी

है। निस्संदेह, याचिकाकर्ता एक वर्ग-II राजपत्रित अधिकारी हैं। 1966 के नियम की धारा 10(iii) के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन से किसी आर्थिक नुकसान की वसूली को लघु शास्ति के रूप में तभी आदेशित किया जा सकता है, जब यह सिद्ध हो कि सरकार को यह नुकसान लापरवाही या आदेश का उल्लंघन करने के कारण हुआ है। 1966 के नियम की धारा 16(1)(a) के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में लापरवाही या आदेश उल्लंघन तथा सरकार को हुए नुकसान का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए (देखें: **के.पी. लकवानी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[6] । वर्तमान मामले में, न तो नोटिस में और न ही दिनांक 7-7-2009 के विवादित आदेश में ऐसा कोई विवरण मौजूद है। अतः, बिना अधिकार क्षेत्र तथा कानून के वैध प्राधिकरण के, दिनांक 7-7-2009 का आदेश निरस्त किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. कलेक्टर के दिनांक 7-7-2009 के आदेश को समर्थन न देने का एक और कारण यह है कि, जिस दिन पैसे की वसूली का निर्देश देने वाला आदेश (दिनांक 7-7-2009) जारी किया गया, उसी दिन याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6-12-2008 के आदेश के तहत उक्त कदाचार के लिए पहले ही लघु शास्ति दी जा चुकी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने पूर्व की रिट याचिका में चुनौती दी थी। अतः, एक ही कदाचार के लिए एक सरकारी कर्मचारी को एक साथ दो लघु शास्तियाँ नहीं दी जा सकतीं—एक तो गैर-संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियाँ रोकने की, और दूसरी ₹1,01,655.50/- की वसूली की, जो कि 1966 के नियम की धारा 10(iii) एवं (iv) के अंतर्गत 'लघु शास्तियाँ' मानी जाती हैं। इस प्रकार, एक ही कदाचार के लिए दो लघु शास्तियों का एक साथ लगाना अस्वीकार्य है और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

---

6 1978(I) MPWN 236

22. निष्कर्षस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। दिनांक 6-12-2008 एवं 7-7-2009 के आदेश दोनों को निरस्त किया जाता है, साथ ही उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार आगे कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

`

**सही/-**
**(संजय के. अग्रवाल)**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

**<u>रिट याचिका (एस) सं. 4980, 2009</u>**

अजीत सिंह जात

**<u>विरुद्ध</u>**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

**<u>तथा</u>**

**रिट याचिका (एस) सं. 4981, 2009**

अजीत सिंह जात

**<u>विरुद्ध</u>**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

"<u>मुख्य सारांश</u>"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. Minor penalty to Government servant cannot be imposed without complying the provisions contained in Rule 16 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का पालन किये बिना शासकीय सेवक पर लघु शास्ति अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

2. Collector has no power and jurisdiction to impose minor penalty under the Rules of 1966 to Class-II Gazetted Officers.

नियम 1966 के अंतर्गत, कलेक्टर को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी पर लघु शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति तथा क्षेत्राधिकार नहीं है।